

कार्यालय अंगण्व आधिकारी, चेन्नई (कोकाटो) 10

विविध वाद सं 29 / 2024

पानु देवी बनाम अंगण्व आधिकारी, चेन्नई

तिथि	पदधिकारी का आदेश एवं इलाख	कई की-दिखा
------	---------------------------	------------

23/12/24 आवेदिका पानु देवी पति - बेंजामिन

रवानि, लान- हुमरा, माता- बाधारा
जिला - धनबाद के द्वारा प्रचित किया
गया है कि आवेदिका के ममके मौजा-
रेखो के (काता नं 136, प्लॉट नं 5284,
रकबा 04 डी0 अकि निबंधित केवाला व
(करीब की गड है, जिसका दां रकां दोकर
लगात रलीद निर्गत हो रहा है, किन्तु
डीड के अनुसार पंजी 12 में दर्ज नहीं है।
आवेदिका द्वारा डीड के अनुसार काता सं
136, प्लॉट नं 5284 रकबा 04 डी0 अकि
पुर्वाक करते हुए और पार्सन पंजी- 12 में
दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदन के आलोक में राजस्व इय
निधीयक - लह पुनारी अंगण्व निधीयक से
जांच प्रसिद्ध प्राप्त किया गया। उन्होंने
प्रसिद्धित किया गया है कि मौजा- रेखो
आलर्जिन काता नं 136, प्लॉट नं- 5284
रकबा 0.21 एकर अकि रेखो करने की है।
उपरोक्त अकि रेखोसी आलर्जिन है।

11/01/25

आवेदिका पानु देवी की हॉट से उनके
पति वैजनाथ स्वामी उपरिचर /

आवेदक द्वारा Sale Deed सं 533 दि 17.03.04
की मूल प्रति दिखलाया गया तथा जमान रसीद-3737458
वर्ष 2012-13 की शरी प्रस्तुत किया गया। रा 340 नि
से मॉरिफ पंजी-II का अवलोकन किया गया।

Sale Deed सं 533 दिनांक 17.03.2004 में
रुना पानु देवी पति वैजनाथ स्वामी द्वारा
के द्वारा मॉजा - तेलो स्वामी सं - 136 प्लॉट सं
5284 रकबा 0.04 ए० भूमि रूप किया है।

उक्त भूमि का दा० ला० वा० सं 196/04-05
से दा० खा० देका जमाबंदी (Online) Vol-16 पेज-13
पर कायम है। उक्त जमाबंदी में प्लॉट सं 5284
के जगह 5282 हो गया है तथा रकबा-0.04 ए०
के जगह 0.14 ए० हो गया है।

आवेदक द्वारा उक्त प्लॉट तथा रकबा में
सुधार हेतु आवेदन दिया है। रा 340 नि-खह-
प्रवासी ऑनलाइन निरीक्षण द्वारा उपरोक्त रकबा प्लॉट
तथा रकबा को सुधार काले हेतु अनुबंध किया है।

उपरोक्त तथ्यों तथा अनुबंध के आलोक में
मॉजा तेलो के Online पंजी-II के Vol-16 Page-13 पर
प्लॉट सं 5282 के स्थान पर 5284 तथा रकबा
0.14 ए० के स्थान पर 0.04 ए० करने का आदेश पारित
किया जाता है।

रा 340 नि एवं ऑनलाइन निरीक्षण से उक्त सुधार
हेतु आदेश की शरी दे।

अतिरिक्त की कार्यवाही समाप्त की जाती है।


11/1/25